राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–6)

☎ 0141-2227379 ✉ DSRDSAP@RAJASTHAN.GOV.IN Website:rdprd.gov.in

क्रमांक10(3)/ग्रावि/ग्रुप–6/2015/2646 जयपुर, दिनांक : 03/09/2022

बैठक कार्यवाही विवरण

सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिये गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (SLEC) की पंचम बैठक मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में **दिनांक 31.08.2022** को वर्चुअल (वीसी के माध्यम से) आयोजित की गयी। लाईन विभागों के अधिकारी, समस्त संभागीय आयुक्त एवं संबंधित जिलों के जिला कलक्टर्स वीसी के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुये।

अध्यक्ष महोदया की अनुमति से एजेण्डावार बैठक की कार्यवाही प्रारंभ कर निम्नांकित निर्णय/निर्देश प्रसारित किये गये :–

1. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करते हुये योजना के दोनों चरणों की वर्तमान स्थिति एवं पूर्व संपादित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 30.04.2022 की अनुपालना रिपोर्ट के संबंध में अवगत कराया गया।
2. योजना अवधि (2014–19) के अन्तर्गत प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा की गयी। अध्यक्ष महोदया द्वारा बड़ी संख्या में प्रगतिरत एवं अप्रारंभ कार्यों की स्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए समस्त लाईन विभागों एवं जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया गया कि समस्त प्रगतिरत कार्यों को अविलम्ब पूर्ण किया जावे। अप्रारंभ कार्यों में से क्रियान्वित नहीं हो सकने वाले कार्यों को चिन्हित कर निरस्त करवाने हेतु जिला कलक्टर्स कारण सहित प्रकरण ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित करावें ताकि भारत सरकार के स्तर पर अग्रेषित कर ग्राम विकास योजनाओं (वीडिपी) को संशोधित करवाया जा सके। जिलेवार व विभागवार प्रगतिरत/अप्रारम्भ कार्यों की सूची **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है। योजनान्तर्गत विभागवार अपूर्ण कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है–

विभाग का नाम	परियोजनाओं की सं. जिनको पूर्ण कराया जाना है	विभाग का नाम	परियोजनाओं की सं. जिनको पूर्ण कराया जाना है
सार्व. निर्माण विभाग	207	शिक्षा विभाग	276
चिकित्सा विभाग	96	कृषि विभाग	118
ऊर्जा विभाग	98	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	62
पशुपालन विभाग	57	जल संसाधन विभाग	47
आईसीडीएस	73	वन व पर्यावरण विभाग	27
राजस्व विभाग	12	स्वायत्त शासन विभाग (जेडीए)	14
एस.जे.डी.	9	खाद्य विभाग	14
खेल एवं युवा मामलात	6	सहकारिता विभाग	5

3. योजना की समीक्षा हेतु सभी जिला कलक्टर्स को माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में लाईन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों, चार्ज अधिकारियों एवं चयनित ग्राम पंचायत के सरपंचगणों के साथ योजना की समीक्षा बैठकें नियमित रूप से आयोजित कर, कार्यवाही विवरण विभाग को भिजवायें जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

4. द्वितीय चरण की योजना अवधि (2019–24) में माननीय सांसदों द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों के संबंध में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति को अवगत कराया गया। अभी तक 22 लोकसभा सदस्यों एवं 6 राज्यसभा सदस्यों द्वारा कुल 80 आदर्श ग्राम पंचायतों का चयन किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि जिला कलक्टर्स द्वारा शेष माननीय सांसदगणों से आदर्श ग्राम पंचायतों के शीघ्र चयन हेतु व्यक्तिशः सम्पर्क कर निवेदन किया जावे।

5. चयनित ग्राम पंचायतों के बेस लाईन सर्वे के आधार पर सभी लाईन विभागों एवं आम जन की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए व्यावहारिक ग्राम विकास योजना (VDP) तैयार की जावे। ग्राम विकास योजना (VDP) में गतिविधियों के चयन में उपलब्ध संसाधनों का भी ध्यान रखा जावे।

6. द्वितीय चरण की योजना अवधि (2019–24) में कुल चयनित 80 ग्राम पंचायतों में से पोर्टल पर अभी तक 66 ग्राम पंचायतों की वीडीपी ही अपलोड हुयी है, जिसे अध्यक्ष महोदया ने गम्भीरता से लिया है। तथा जिला कलक्टर **टोंक, जैसलमेर, करौली, पाली, जयपुर, हनुमानगढ, सीकर, बाडमेर एवं झुंझुनूं को दिनांक 15.09.2022 तक** वीडीपी तैयार कर पोर्टल पर अपलोड कराने के निर्देश प्रदान किये।

7. लाईन विभागों के अधिकारियों द्वारा यह अनुरोध किया गया कि योजना के पोर्टल saanjhi.gov.in पर दर्ज ग्राम विकास योजनाओं में सम्मिलित कार्यों की सूची के अवलोकन किये जाने हेतु लाईन विभागों को भी लोगिन की सुविधा प्रदान की जावें। अतः उक्त संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. उपसचिव, मुख्य सचिव महोदया, राजस्थान सरकार।
2. संयुक्त सचिव (SAGY), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभि. एवं भू–जल।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
13. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य विभाग।
15. निजी सचिव, शासन सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग।
16. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग।
17. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग।
18. निजी सचिव, आयुक्त, सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग।
19. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग।
21. निजी सचिव, शासन सचिव, सा. न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
22. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
23. निजी सचिव, शासन सचिव, खेल एवं युवा मामले विभाग।
24. निजी सचिव, समस्त सम्भागीय आयुक्त।
25. निजी सचिव, समस्त जिला कलक्टर्स।
26. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, ग्राविवि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
तथा एस.एन.ओ. (SAGY)